Title :h Need to enhance the minimum pension of pensioners under the EPS-95-Laid.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 04.10.2016 के निर्णय में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95) के तहत पिछले 12 महीनों के वास्तविक वेतन/मजदूरी के आधार पर पेंशन दिए जाने का निर्णय दिया था जबकि वर्तमान में EPS-95 पेंशनभोगी को 1170 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है । वर्तमान में पेंशनभोगियों को मात्र 1170 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं और इस नाममात्र की राशि से, सेवानिवृत्ति के बाद, उम्र के साथ चिकित्सा व्यय बढ़ जाने से, परिवार के सदस्य पर दवाओं, भोजन और दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए निर्भर रहना पड़ता है । जबकि इतनी कम पेंशन मिलने से अपने पूरे महीने का खर्चा उठाना भी मुश्किल कार्य होता है जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन कम से कम 9000 रुपये प्रति माह किये जाने के साथ ही साथ, साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की आवश्यकता है और वृद्धावस्था पेंशनरों को राहत देने लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है । वृद्धावस्था पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार करने और इन पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दिए जाने के लिए डॉ भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ ही साथ लागू किये जाने और इनको EPS-95 पेंशनभोगी डीए के साथ 9000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए योजना को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है ।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के वर्षों के दौरान सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ईपीएस-95 को संशोधित और कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू कर ईपीएस-95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ।